अध्याय-IV : वित्तीय प्रबंधन

भा.प्रौ.सं. शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान हैं जो भारत सरकार से अनुदान (पूंजीगत और आवर्ती दोनों), ऋण (आंतरिक और बाह्य दोनों अभिकरणों से) प्राप्त करते हैं। वे शुल्क, प्रकाशन, ब्याज, परामर्श कार्यों तथा अन्य कार्यों के माध्यम से आंतरिक राजस्व का भी सृजन करते हैं।

वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान इन भा.प्रौ.सं. के निधि के स्रोत नीचे दिए गए *चित्र 4.1* में दर्शाये गए हैं:

चित्र 4.1 : भा.प्रौ.सं. के लिए निधियों के स्रोत

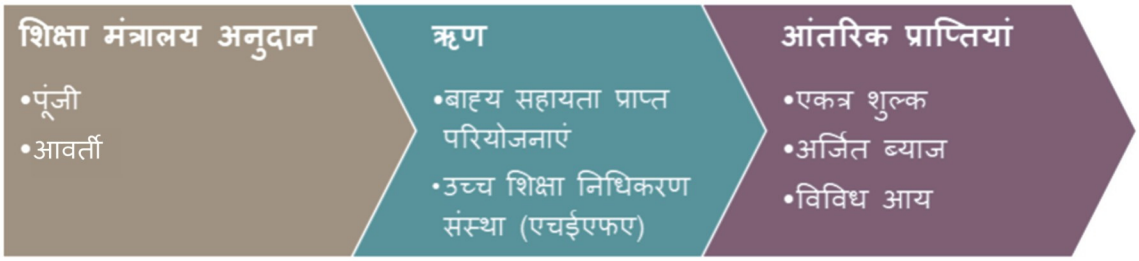

लेखापरीक्षा द्वारा इन आठ भा.प्रौ.सं. में चार व्यापक क्षेत्रों अर्थात निधि उपलब्धता, इसका अनुप्रयोग, संसाधन की लामबंदी और निधियों के निवेश के अन्तर्गत वित्तीय प्रबंधन, की जांच की गई।

4.1 वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन

4.1.1 अनुदान

(क) पूंजीगत परिव्यय में संशोधन - शिक्षा मंत्रालय ने छह वर्ष (2008-14) की अवधि में आठ नए भा.प्रौ.सं. की स्थापना के लिए ₹6,080 करोड़ (प्रति भा.प्रौ.सं. ₹760 करोड़) की परियोजना लागत की (जुलाई 2008) संस्वीकृति दी। इसे नीचे दी गई *तालिका 4.1* में दिए गए विवरण के अनुसार इसे दो बार और संशोधित किया गया।

तालिका 4.1: वर्ष 2008 से 2021 के मध्य प्रारंभिक लागत और संशोधित लागत

भा.प्रौ.सं. के नाम	आरंभिक अनुमानित लागत 2008 (क)	संशोधित अनुमानित लागत 2016 (ख)	संशोधित अनुमान में उर्ध्वगामी संशोधन 2019 (ग)	लागत अनुमानों में अंतर (2008-2019) (घ)	अंतर का प्रतिशत (ङ) = ग-क/100
भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर	760	1880	1893	1133	149
भा.प्रौ.सं. गांधीनगर	760	1716	1716	956	126
भा.प्रौ.सं. हैदराबाद	760	2075	2092	1332	175
भा.प्रौ.सं. इंदौर	760	1902	1911	1151	152
भा.प्रौ.सं. जोधपुर	760	1605	1648	888	117
भा.प्रौ.सं. मंडी	760	1466	1556	796	105
भा.प्रौ.सं. पटना	760	1678	1688	928	122
भा.प्रौ.सं. रोपड़	760	1668	1828	1068	141
कुल	**6080**	**13990**	**14332**	**8252**	

सूचना स्रोत: शिक्षा मंत्रालय

* लागत अनुमान में सिविल कार्य, उपकरण, वेतन तथा अवेतन जैसे घटक शामिल हैं

राज्य सरकारों द्वारा साइटों को सौंपने में हुए विलम्ब के कारण अधिक समय और लागत की आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई तथा वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब, उपकरण लागत, वेतन, करों में वृद्धि तथा साइट-विशिष्ट अवसंरचना के प्रावधान जैसे अंडरपास, फुट ओवर ब्रिज आदि जैसे अन्य कारक भी इसमें शामिल हैं। इस प्रकार परियोजना अवधि के मध्य अवसंरचना के विकास को पूरा न करने के परिणामस्वरूप छह साल से अधिक के अवसंरचना के विकास में गिरावट आई, जिससे 13 साल की अवधि के लिए पूंजी परिव्यय को ₹6,080 करोड़ से ₹14,332 करोड़ तक संशोधित करना आवश्यक हो गया।

(ख) निधि का उपयोग

भा.प्रौ.सं. द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय भा.प्रौ.सं. को शीर्ष-वार निधियां आवंटित और निर्गत करता है। उपलब्ध निधियों (आंतरिक प्राप्तियों सहित) के उपयोग की भा.प्रौ.सं.-वार स्थिति निम्नलिखित ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

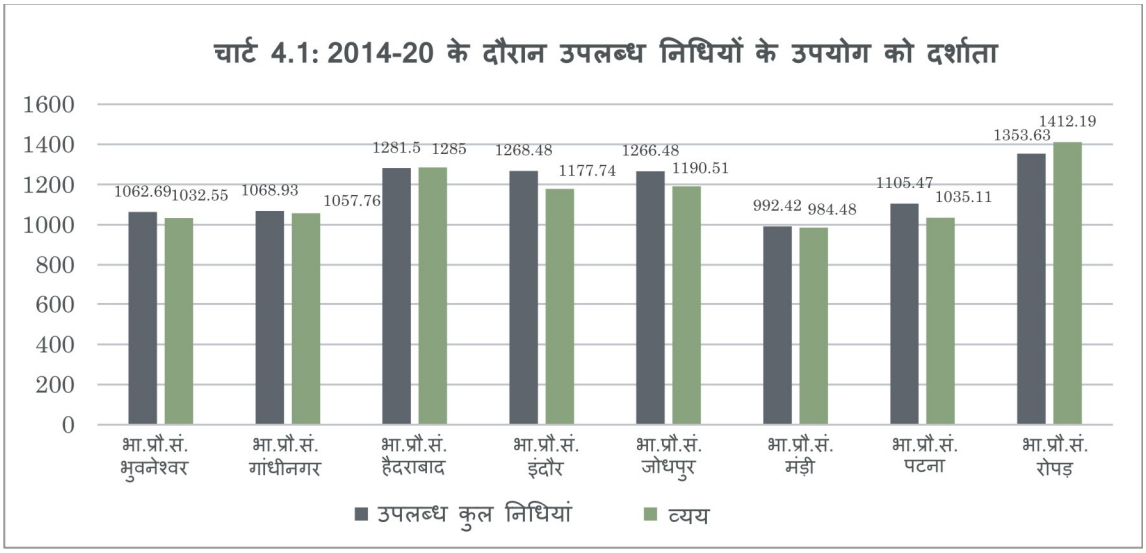

यह देखा गया कि प्रारंभिक अनुदान का उपयोग वर्ष 2014 तक किया जाना चाहिए था, लेकिन निष्पादन में विलम्ब के कारण भा.प्रौ.सं. द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। निष्पादन में विलम्ब के अतिरिक्त, अवसंरचना के विकास के लिए प्राप्त लगभग सम्पूर्ण निधियों का उपयोग भा.प्रौ.सं. द्वारा वर्ष 2019-20 तक कर लिया गया। वर्ष 2020 के अंत तक अप्रयुक्त राशि ₹224.26 करोड़ थी।

यह भी पाया गया कि भा.प्रौ.सं. रोपड़ को छोड़कर सभी सात भा.प्रौ.सं. में व्यय की गयी निधि उपलब्ध निधि के भीतर थी, भा.प्रौ.सं. रोपड़ में यह व्यय वर्ष 2019-20 के अंत तक 4 प्रतिशत (₹58.56 करोड़ अधिक) से कुछ ही अधिक था।

4.1.2 जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ऋण का उपयोग

भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि के लिए भा.प्रौ.सं. हैदराबाद में अवसंरचना के विकास (चरण-II) के लिए के जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ एक समझौता (2014) ज्ञापन किया। परियोजना के लिए कुल लागत ₹1,776.50 करोड़[26] स्वीकृत हुई। चरण-II के अंतर्गत भा.प्रौ.सं. हैदराबाद में कार्य के क्षेत्र में चार वर्षों की अवधि के लिए निर्माण कार्य, वस्तु एवं सेवाओं की खरीद और परामर्श सेवाएं सम्मिलित थी। मंत्रालय द्वारा परियोजना अवधि (जून 2017) को लागत में वृद्धि किए बिना वर्ष 2022-23 तक बढ़ा दिया गया।

[26] इसमें जेआईसीए द्वारा 84.5 प्रतिशत की अनुदान राशि ₹1501.14 करोड़ तथा शेष भारत सरकार द्वारा 15.5 प्रतिशत की अंशदान राशि ₹275.36 करोड़ शामिल है।

वर्ष 2013-14 से 2019-20 की अवधि के दौरान निधि की उपलब्धता, व्यय और अव्ययित निधि का विवरण ***चार्ट 4.2*** में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

चार्ट 4.2: भा.प्रौ.सं. हैदराबाद में जेआईसीए की निधि स्थिति

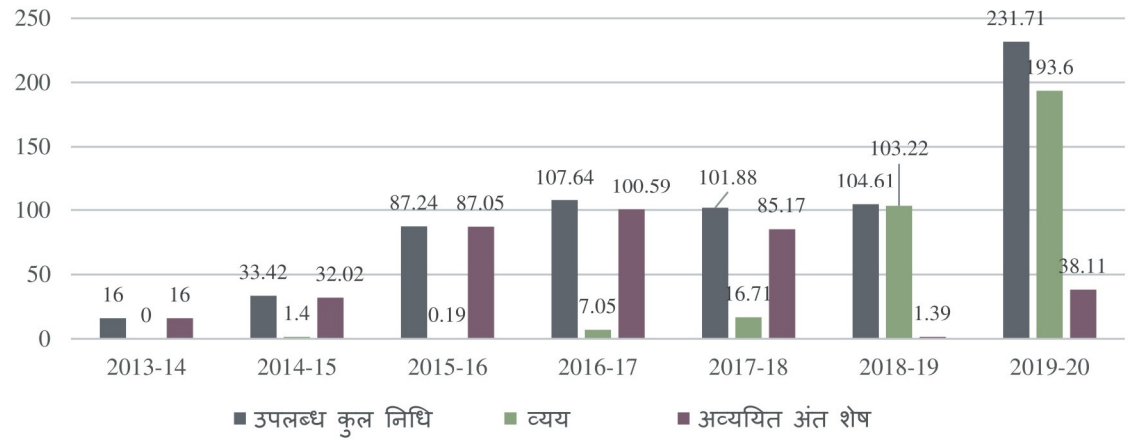

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि वर्ष 2019 में परियोजना को समय विस्तार प्रदान किए जाने से पहले, ₹107.64 करोड़ (2013-17 तक जो प्रारंभिक परियोजना अवधि थी) की उपलब्ध निधि के विरुद्ध, भा.प्रौ.सं. हैदराबाद ने परियोजना पर केवल ₹8.64 करोड़ (8.03 प्रतिशत) व्यय किया था। इसके बाद, वर्ष 2017-18 से निधि के उपयोग में वृद्धि हुई और अव्ययित जेआईसीए निधि का उपयोग मार्च 2020 के अंत तक ₹38.11 करोड़ था।

भा.प्रौ.सं. हैदराबाद ने अपने जवाब (नवंबर 2020) में कहा कि जब शिक्षा मंत्रालय से अनुदानों को प्राप्त करने में देरी हुई तो निर्माण कार्यों को निष्क्रिय रखे बिना, जेआईसीए अनुदानों को परिसर के निर्माण के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।

शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया (सितंबर 2021)।

भा.प्रौ.सं. हैदराबाद का उपरोक्त जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि जेआईसीए निधि को वर्ष 2014 से चरण-II की गतिविधियों के लिए जारी किया गया था। हालांकि, प्रभावी उपयोग केवल वर्ष 2016-17 से शुरू हुआ था, अर्थात इसके जारी होने के तीन साल बाद से। इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद, भा.प्रौ.सं. हैदराबाद समय पर ढंग से इसका उपयोग नहीं कर सका जिसके कारण समय विस्तार आवश्यक हो गया।

4.1.3 आंतरिक प्राप्तियों का सृजन

जीएफआर 2017 के नियम 230 (6) में प्रावधान है कि अनुदान संस्वीकृत करने वाले अधिकारियों को अनुदान देते समय आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुदानग्राही संस्थाओं या संगठनों द्वारा आंतरिक राजस्व प्राप्तियों के सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर भी विचार करना चाहिए, विशेष रूप से जहां प्रत्येक वर्ष आवर्ती आधार पर अनुदान दिया जाता है।

आवर्ती व्यय के प्रति आंतरिक प्राप्तियों का भा.प्रौ.सं-वार विवरण ***चार्ट 4.3*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3 : आंतरिक प्राप्तियों का सृजन बनाम आवर्ती व्यय (2014-19)

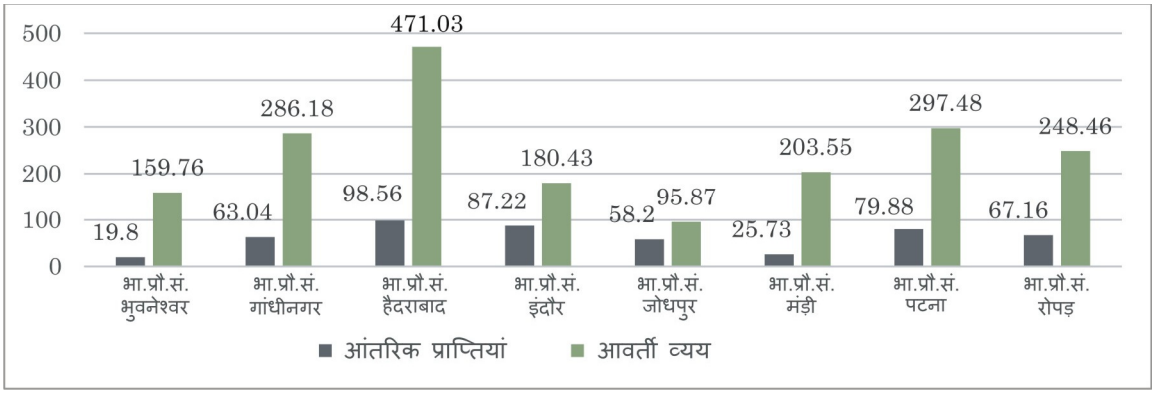

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि इन भा.प्रौ.सं. की स्थापना के एक दशक हो जाने के बाद भी आवर्ती व्यय के प्रति आंतरिक प्राप्तियों का अनुपात बहुत कम अर्थात 12 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. भुवनेश्वर में) से 61 प्रतिशत (भा.प्रौ.सं. जोधपुर में) के बीच था। आंतरिक प्राप्तियों का कम अनुपात आवर्ती व्यय को पूर्ण करने के लिए भा.प्रौ.सं. को अनुदान पर अत्यधिक निर्भर होने के लिए बाध्य करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह भी पाया कि आठ भा.प्रौ.सं. में से किसी भी संस्थान के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा आंतरिक प्राप्तियों के सृजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया (सितंबर 2021)।